न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट प्रथम/अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र सं० 3254/2022
कम्प्यूटर पंजीयन सं० 2501/2022
CNR No UPFZ– 01–006367–2022

अर्जुन चौहान पुत्र रामदेव चौहान, निवासी सनाहा, थाना रौनाही, जिला अयोध्या
.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश .....विपक्षी

दिनांक–04.02.2023

प्रार्थी/अभियुक्त अर्जुन चौहान द्वारा मु.अ.सं. 260/2022 अन्तर्गत धारा 323, 363, 366, 376 भा0 द 0 सं0 व धारा 3/4 पॉक्सो ऐक्ट थाना रौनाही, जिला अयोध्या के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा शनि कुमार चौहान ने थाना रौनाही में इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी बहन पीड़िता जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है दिनांक 18.07.22 को विपक्षी अर्जुन शादी का झांसा देकर सुबह 8 बजे बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। काफी तलाश की गयी परन्तु नहीं मिली।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे उक्त मुकदमे में उसके विरोधी द्वारा वादी से मिलकर फर्जी अभियुक्त बनाया गया है। पीड़िता के 161 व 164 दं०प्र०सं० के बयानों में विरोधाभास है। थाने की पुलिस दिनांक 21.07.22 को उसे घर से पकड़ लायी तथा फर्जी मुकदमे में जेल में निरूद्ध कर दिया। वादी की बहन किसी दूसरे के साथ गयी थी। वह मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा मजदूरी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत देने को तैयार है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फँसाया गया है, पीड़िता के 161 द 0 प्र 0 सं0 व 164 द 0 प्र 0 सं0 के बयानों में विरोधाभास है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 2.07.22 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी, अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता का व्यपहरण कर उसे अपने साथ ले जाकर रखा गया तथा उसके साथ लैंगिक प्रवेशन हमला किया गया। पीड़िता ने अपने बयान 164 दं०प्र०सं० में अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने का कथन किया है, जबकि पीड़िता अवयस्क है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। वादिनी को प्रेषित नोटिस तामीलशुदा वापस प्राप्त है।

पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 18.08.2006 है, जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता घटना की तिथि पर अवयस्क थी। अपने 164 द0 प्र0 सं0 के बयान में पीड़िता ने अभिकथन किया है कि अर्जुन उसे लेकर अपने घर गया एवं अर्जुन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा मारा पीटा भी था,संबंध बनाते समय उसकी मर्जी नहीं थी। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अवयस्क पीड़िता के साथ विवाह करने के आशय से उसका व्यपहरण करके अपने घर ले जाने तथा उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करने का अभियोग है। विवेचनोपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का समाजिक अपराध है। प्रकरण के इस स्तर पर मामले के गुण–अवगुण पर विचार किए बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का दर्शित आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अर्जुन चौहान द्वारा मु.अ.सं. 260/2022 अन्तर्गत धारा 323,363,366,376 भा0 द0 सं0 व धारा 3/4 पॉक्सो ऐक्ट थाना रौनाही, जिला अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(शैलेन्द्र वर्मा)
JO Code UP 6426
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट प्रथम/
अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद।

Digitally signed by Shailendra Verma
Date: 2023.02.04 17:10:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court